राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2755, 2756 / 2016.............................जिला...................................जयपुर......................................

उनवान – मैसर्स सिनेपॉलिस इण्डिया प्रा0 लि0 बी–ब्लाक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर।

बनाम (1.) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर

(2.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2017	एकलपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य	

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

02/02/2017

अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"**कहा जायेगा) के अपील संख्या 145/2016–17/15–16 व अपील संख्या 146/2016–17/14–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

क्र.सं.	अपील संख्या व कर निर्धारण अवधि	वैट	ब्याज	शास्ति	विवादित कुल राशि
1	145/2016–15–16	42577	5109	85154	**132840**
2	146/2016–14–15	23541	4237	47082	**74860**

उक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान है तथा दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से संबंधित हैं अतः उक्त दोनों अपीलों का निष्पादन एक ही संयुक्त आदेश द्वारा किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित पत्रावलियों में पृथक–पृथक रूप से रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विभागीय जांच दल द्वारा दिनांक 21.09.2015 को अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण एवं तत्पश्चात की गयी जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य में सिनेमा हॉल का संचालन किया जाता है, जिसमें एक रेस्टोरेंट 'काफी ट्री' के नाम से चलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में काफी, ब्रेवरेज इत्यादि की बिक्री की जाती है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा सर्विस टैक्स की राशि को विक्रय मूल्य के साथ शामिल कर, उक्त राशि पर कर दायित्व वहन नहीं किया जा रहा है।

अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश वर्ष 2015–16 व 2014–16 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2016 को पारित करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन संभाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा)

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....2755, 2756 / 2016..............................जिला....................................जयपुर......................................

उनवान – मैसर्स सिनेपॉलिस इण्डिया प्रा0 लि0 बी–ब्लाक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर।

बनाम (1.) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर

(2.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज – 2 –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2017	ने कर रूपये 42,577 / –, ब्याज रूपये 5,109 / – व शास्ति राशि रूपये 85,154 / – कुल विवादित राशि रूपये 1,32,840 / – का आरोपण किया एवं 23,541 / –, ब्याज रूपये 4,237 / – व शास्ति राशि रूपये 47,082 / – कुल विवादित राशि रूपये 74,860 / – का आरोपण किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2016 से शास्ति अपास्त कर अपील आंशिक स्वीकार की है जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 1,32,840 / – व 74,860 / – की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन हेतु आवेदित राशि रूपये 1,32,840 / – व 74,860 / – की वसूली पर आगामी तारीख पेशी तक इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलाथी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (aequate security) प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावे तथा पत्रावली वास्ते सुनवाई एकलपीठ के समक्ष दिनांक 07.04.2017 को पेश हो। (नत्थूराम) सदस्य	